

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4125
जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है
राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

4125. श्रीमती संजना जाटव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई;
- (ख) वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के दौरान राज्य-वार कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किए जाने की संभावना है; और
- (ग) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित धनराशि और उस पर किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र(यूटी)-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लक्ष्य उस वित्त वर्ष के प्रारंभ में वित्त वर्ष-वार निर्धारित किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य लगभग 10,420 किलोमीटर है।

अभी वित्त वर्ष 2025-26 के बाद के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2024 तक लगभग 3,914 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई का निर्माण किया गया है, जिसका राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बजटीय पूंजीगत परिव्यय 2,72,241 लाख करोड़ रुपये है। अभी वित्त वर्ष 2025-26 के बाद के लिए बजटीय पूंजीगत परिव्यय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अनुबंध-1

“राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण” के संबंध में श्रीमती संजना जाटव द्वारा पूछे गए दिनांक 19-12-2024 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 4125 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा: -

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धनराशि करोड़ रु. में											
		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (31.10.2024 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	6,618	6,618	4,281	4,281	5,890	5,890	6,957	6,957	11,440	11,440	6,721	5,797
2	अरुणाचल प्रदेश	1,710	1,710	2,512	2,512	2,718	2,718	3,140	3,140	2,649	2,649	2,287	628
3	असम	2,436	2,436	3,753	3,753	3,150	3,150	4,557	4,557	9,137	9,137	3,346	3,144
4	बिहार	4,392	4,392	6,716	6,716	9,174	9,174	9,347	9,347	10,749	10,749	5,213	4,517
5	छत्तीसगढ़	1,653	1,653	2,224	2,224	1,936	1,936	2,468	2,468	4,255	4,255	548	404
6	गोवा	977	977	734	734	615	615	673	673	620	620	567	307
7	गुजरात	5,102	5,102	7,533	7,533	10,710	10,710	9,831	9,831	10,900	10,900	4,649	4,455
8	हरियाणा	6,721	6,721	10,651	10,651	7,203	7,203	3,924	3,924	6,062	6,062	2,105	2,068
9	हिमाचल प्रदेश	1,238	1,238	2,033	2,033	3,164	3,164	4,534	4,534	5,175	5,175	2,384	2,107
10	झारखंड	2,312	2,312	2,627	2,627	2,853	2,853	3,127	3,127	4,599	4,599	2,809	2,630
11	कर्नाटक	7,860	7,860	5,838	5,838	7,681	7,681	6,763	6,763	12,695	12,695	6,173	5,243
12	केरल	1,265	1,265	12,831	12,831	10,136	10,136	3,994	3,994	10,419	10,419	1,992	1,956
13	मध्य प्रदेश	6,429	6,429	8,250	8,250	9,006	9,006	6,210	6,210	7,447	7,447	4,100	3,662
14	महाराष्ट्र	24,166	24,166	20,844	20,844	18,655	18,655	18,355	18,355	19,867	19,867	11,887	10,504
15	मणिपुर	1,180	1,180	978	978	2,142	2,142	2,737	2,737	2,598	2,598	1,097	1,079
16	मेघालय	901	901	861	861	819	819	684	684	1,803	1,803	512	489
17	मिजोरम	1,252	1,252	1,238	1,238	2,054	2,054	3,218	3,218	2,189	2,189	789	752
18	नागालैंड	1,003	1,003	2,382	2,382	1,943	1,943	1,666	1,666	1,414	1,414	734	647

धनराशि करोड़ रु. में													
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (31.10.2024 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
19	ओडिशा	3,355	3,355	5,336	5,336	4,510	4,510	4,643	4,643	5,948	5,948	3,107	2,835
20	पंजाब	2,777	2,777	3,301	3,301	7,179	7,179	10,093	10,093	12,419	12,419	3,969	3,923
21	राजस्थान	6,515	6,515	7,340	7,340	11,353	11,353	9,719	9,719	8,874	8,874	4,101	3,716
22	सिक्किम	286	286	1,053	1,053	811	811	1,008	1,008	684	684	238	205
23	तमिलनाडु	5,757	5,757	4,868	4,868	4,305	4,305	8,230	8,230	9,925	9,925	5,249	4,945
24	तेलंगाना	3,048	3,048	2,907	2,907	3,458	3,458	3,622	3,622	6,117	6,117	4,494	4,262
25	त्रिपुरा	175	175	1,026	1,026	1,085	1,085	1,156	1,156	1,546	1,546	406	391
26	उत्तर प्रदेश	13,375	13,375	18,768	18,768	13,944	13,944	21,453	21,453	28,114	28,114	11,794	10,082
27	उत्तराखंड	2,940	2,940	2,800	2,800	2,112	2,112	3,219	3,219	4,545	4,545	2,583	2,036
28	पश्चिम बंगाल	2,665	2,665	2,658	2,658	3,642	3,642	3,053	3,053	3,543	3,543	1,157	1,021
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	267	267	349	349	246	246	143	143	96	96	91	91
30	चंडीगढ़	0	0	2	2	6	6	1	1	0	0	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	43	43	30	30	26	26	2	2	50	2
32	दमन और दीव	0	0										
33	दिल्ली/मुख्यालय	-743	-743	-1,482	-1,482	3,961	3,961	7,164	7,164	3,223	3,223	1,648	1,627
34	जम्मू एवं कश्मीर	2,256	2,256	2,932	2,932	6,817	6,817	7,370	7,370	10,528	10,528	5,475	4,909
35	लद्दाख	0	0	24	24	352	352	574	574	658	658	534	473
36	पुदुचेरी	1	1	21	21	1	1	61	61	35	35	28	14

वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सामने उल्लिखित ऋणात्मक आंकड़े उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को व्यय/परियोजनाओं के अंतरण को दर्शाते हैं।

अनुबंध-II

“राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण” के संबंध में श्रीमती संजना जाटव द्वारा पूछे गए दिनांक 19-12-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4125 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण: -

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई (किमी में)
1	आंध्र प्रदेश	372
2	अरुणाचल प्रदेश	20
3	असम	87
4	बिहार	156
5	छत्तीसगढ़	130
6	दिल्ली	3
7	गोवा	13
8	गुजरात	213
9	हरियाणा	65
10	हिमाचल प्रदेश	78
11	जम्मू एवं कश्मीर	108
12	झारखंड	63
13	कर्नाटक	219
14	केरल	36
15	लद्दाख	40
16	मध्य प्रदेश	222
17	महाराष्ट्र	418
18	मणिपुर	18
19	मेघालय	18
20	मिजोरम	12
21	नागालैंड	46
22	ओडिशा	59
23	पंजाब	57
24	राजस्थान	613
25	सिक्किम	6
26	तमिलनाडु	221
27	तेलंगाना	144
28	त्रिपुरा	4
29	उत्तर प्रदेश	370
30	उत्तराखंड	57
31	पश्चिम बंगाल	47
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
